न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0 पश्चिम, लखनऊ।

Crimanal Misc Case No. 407/2026

सी0बी0आई0 बनाम अविनाश ताम्बे एवं अन्य

RC NO 0062024A0019
धारा–120बी सपठित धारा 420, 467, 468 व धारा 66(सी) आई0टी0 एक्ट 2000 व धारा 11 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 11 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018)
थाना–CBI. ACB, Lucknow.

24.07.2026

पत्रावली आज प्रसंज्ञान हेतु नियत है। प्रकरण में पूर्व तिथि पर विवेचक को सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे जमानत पर है। शेष अभियुक्तगण तुषार सक्सेना, मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना, श्रीनाथ पोददार एवं श्री वर्निंत पोददार न्यायालय में उपस्थित नही है।

सी0 बी0 आई0 की ओर से श्री त्रिपुरारी पाठक लोक अभियोजक उपस्थित है।

सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में सीबीआई द्वारा RC NO 0062024A0019 धारा–120बी एवं 7, 8, 9 एवं 10 पी0सी0 एक्ट 1988 (As amended in 2018) में अभियुक्त अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे, तत्कालीन सेक्शन आफिसर, सीएसआईआर–आईआईटीआर, लखनऊ, तुषार सक्सेना, प्राइवेट परसन (पार्टनर आफ मे0 शिप्रा साइन्टीफिक ट्रेडर्स), मे0 शिप्रा साइन्टीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना) पता 38–39, रामाधीन सिंह मार्केट काम्पलेक्स, नियम आई. टी. क्रासिंग, बाबू गंज लखनऊ, सी–77 सेक्टर के, अलीगंज, लखनऊ, श्रीनाथ पोददार, वर्निंत पोददार, मे0 विजन डायगनोस्टिक इंडिया प्राइवेट लि0 (एमडी/सीईओ श्री अरुण कुमार सिंह) एवं मे0 आरएनए टेक्नालोजी (प्रोपराइटर श्री सुनीत मुखर्जी) निवासी 2/675 सेक्टर–एल, एलडीए कालोनी, स्मृति उपवन, गेट नं0–5, लखनऊ के विरुद्व श्री रुप किशोर, CVO, CSIR, New Delhi की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ। इसके उपरान्त जांच एजेन्सी सीबीआई द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जांच की गयी।

आरोप पत्र में जांच एजेन्सी ने यह कथन किया कि श्री अविनाश ताम्बे 13.09.2022 से 10.04.2023 तक बतौर सेक्शन आफिसर (सेल्स एण्ड परचेज) सीएसआईआर, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे और उपरोक्त कम्पनियां केमिकल इन्स्ट्रूमेन्ट ग्लास एवं प्लास्टिक उत्पादन आदि प्रोडक्ट का व्यवसाय कर रही थी।

Rahul Prakash
2026-07-27T17:
07:59+0530

श्री अविनाश ताम्बे जो वहां से सीएसआईआर नीरी नागपुर स्थानान्तरित हो गये। तब उनकी जगह मो0 रिजवान को अविनाश ताम्बे का कम्प्यूटर सिस्टम दिया गया। जिन्होनें देखने पर यह पाया कि व्हाटसएप चैट लागआफ नही हुआ है। उपरोक्त तथ्य को उन्होनें कृष्ण राज सिंह, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को बताया। जिन्होनें डायरेक्टर सीएसआईआर–आईआईटीआर, लखनऊ को बताया। इसी क्रम में एक कमेटी श्री निखिल गर्ग, चीफ साइन्टीफिक, आर. पी. त्रिपाठी फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टस आफिसर, एबी पन्त, चीफ सैन्टीस्ट एवं एन. मानिकाम चीफ सैन्टीस्ट सीएसआईआर–आईआईटीआर, लखनऊ की बनायी गयी। जिन्होनें जांच द्वारा यह पाया कि श्री अविनाश ताम्बे व्हाटसअप खाता क्रोम ब्राउजर खुला हुआ है। कमेटी ने व्हाटसअप चैट को इक्जामिन किया जिसका विस्तृत उल्लेख आरोपपत्र में किया गया है और यह कहा गया कि श्री अविनाश ताम्बे वेन्डरो के साथ करेप्ट प्रैक्टिस में इन्वाल्व थे। उपरोक्त इन्टरनल कमेटी रिपोर्ट के आधार पर एक हाई लेबल कमेटी जिसमें डा0 अमुथा अरुणाचलम, पीटीओ सीएसआईआर एचक्यू, श्री मन्डा अनन्दा कुमार, सी ओए, सी एस आई आर–आईआईसीटी एवं श्री वीरेन्द्र आर पाटिल, सीओएसपी, सी एस आईआर एनसीएल बनाये गये। उपरोक्त कमेटी ने भी व्हाटसअप चैट जो कि मोबाइल नं0–+918081395109 से सम्बन्धित कम्प्यूटर सिस्टम जो पहले से सेव था, को सील करके सेफ कस्टडी में रख लिया गया। कमेटी ने सारी परचेज फाइल का निरीक्षण किया और विभिन्न पहलुओ पर भी जांच की और यह पाया गया कि श्री अविनाश ताम्बे व अन्य 4 वेन्डर के विरुद्व वृहद जांच की आवश्यकता है। उपरोक्त के आधार पर श्री रुप किशोर, तत्कालीन CVO, CSIR, New Delhi के पास सीबीआई के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रकरण में अभियुक्त अविनाश ताम्बे द्वारा निम्नलिखित पत्रावलियों, file No-9-04/PUR/NGA/22-23/P-50(48),file No-9-07/PUR/SB/22-23/GAP-406 (04), file No-9-04/PUR/AR/22-23/ P50(9D),file No- 9-04/PUR/MK/22-23/P-50(0113), file No-9-04/PUR/RP/22-23/P-50 (50), file No- 9-04/PUR/SPS/22-23/P-50 (69), file No-9-04/PUR/SPS/22-23/P-50, file No&9-04/PUR/PR/22-23/P-50(51),fileNo-9-04/PUR/NGA/22-23/P50(76) ,file No-9-04/PUR/AR/22-23/P-50 (6G),file No-9-04/PUR/RP/22-23/P-50(50), file No-9-04/PUR/PR/22-23/P-50/9(C),file No-9-04/PUR/AD/22-23/STS-0014(6D),file No-9-08/PUR/PR/22-23/P50(9G),file No-9-04 PUR/KMA/22-23/HCP-031/36(53),file No-9-04 PUR/SB/22-23/GAP-

Rahul Prakash
2026-07-27T17:
07:59+0530

418(02), file No-9(07)/PUR/MIC/AO/22-23/2290, file No-9-08/ PUR/ABT/22-23/STS-0014(10B),fileNo-9-08/PUR/SY/22-23/P-50(6J),file No-9-08/PUR/AKY/22-23/P-50 (36), file No- 9-04/PUR/AR/22-23/P-50(14) एवं file No-9-04/PUR/RGR/22-23/P-50, उपरोक्त पत्रावलियों में विभिन्न फर्मो को पेमेन्ट श्री अविनाश ताम्बे द्वारा प्रासेस करके कराया गया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री अविनाश ताम्बे ने आपराधिक षडयंत्र के तहत कम्पनियो की मोहर का इस्तेमाल कर प्रोपराइटर की सहमति के बिना कोटेशन जमा किया। तुषार सक्सेना ने भी ऐसा ही किया और अपने व अपनी बीबी के खाते में पैसा भी प्राप्त किया। व्हाटसअप चैट के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि तुषार सक्सेना ने अविनाश ताम्बे के खाते में कैश डिपाजिट किया और मेसर्स साइन्स टेक इंडिया और मे0 काश्वी लाइफ की ओर से ज्यादा कोटेशन दाखिल किया जिससे कि मे0 शिप्रा साइन्टीफिक ट्रेडर्स को 16 कान्ट्रैक्ट हासिल होने में सहूलियत हो सके। इसी प्रकार श्रीनाथ पोददार प्रोपराइटर मे0 एन. डी. इंटरप्राइजेज ने भी आपराधिक षडयंत्र के तहत अपने बड़े भाई वर्नित पोददार और अविनाश ताम्बे के साथ मिलकर मे0 कम्प्यूट्रानिक्स एवं मे0 तथ्या एजेन्सीज प्रोपराइटर श्रीमती श्वेता पोददार और मे0 टेलीपोर्ट, प्रोपराइटर मिसेज साची गुप्ता के साथ आपराधिक षडयन्त्र किया और फर्नीचर काफी मशीन आदि माल सप्लाई किया। 17.02.2023 से 06.04.2023 के मध्य वर्नित पोददार और अविनाश ताम्बे के व्हाटसअप चैट से ज्ञात हुआ कि श्री अविनाश ताम्बे ने रिश्वत प्राप्त की है जो कि उनके खाते से भी स्पष्ट होती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर जांच एजेन्सी द्वारा आरोप पत्र श्री अविनाश ताम्बे तुषार सक्सेना, मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना) श्रीनाथ पोददार एवं श्री वर्नित पोददार के विरुद्व आरोप लगाते हुए आरोपत्र प्रेषित किया। शेष प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित मे0 विजन डायग्नोस्टिक इंडिया प्रा0 लि0 (एमडी/सीईओ श्री अरुण कुमार सिंह) एवं मे0 आरएनए टेक्नालोजी प्रोपराइटर श्री सुनीत मुखर्जी के विरुद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये न जाने के कारण उनको आरोपित नही किया।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में केवल अभियुक्त अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे तत्कालीन Section Officer, CSIR-IITR, Lucknow ही एकमात्र सरकारी कर्मचारी/लोक सेवक है, जिनके विरुद्व अभियोजन स्वीकृति दिनांक–21.04.2026 को सी0 बी0 आई0 द्वारा प्राप्त कर ली गयी है। जिसका प्रपत्र पत्रावली पर संलग्न है।

Rahul Prakash
2026-07-27T17:
07:59+0530

विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोपपत्र एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन करने के उपरांत आरोपपत्र में नामित अभियुक्तगण अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे, तुषार सक्सेना, मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना) श्रीनाथ पोददार एवं श्री वर्नित पोददार के विरुद्व संज्ञान लिये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

शेष अन्य दो अभियुक्तगण मे0 विजन डायग्नोस्टिक इंडिया प्रा0 लि0 (एमडी/सीईओ श्री अरुण कुमार सिंह) एवं मे0 आरएनए टेक्नालोजी प्रोपराइटर श्री सुनीत मुखर्जी को प्रकरण में आरोपित नही किया गया है अतः उनके विरुद्व प्रसंज्ञान लिये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

अतः अभियुक्त अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे के विरुद्व RC NO 0062024A0019 धारा–120बी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 व धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 11 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018) अभियुक्त तुषार सक्सेना (पार्टनर आफ मे0 शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स) के विरुद्व RC NO 0062024A0019 धारा 120बी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 व धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 10, 12 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018) अभियुक्त मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना के विरुद्व RC NO 0062024A0019, धारा 9 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) अभियुक्त श्रीनाथ पोददार (प्रोपराइटर मे0 एनडी इंटरप्राइजेज) के विरुद्व RC NO 0062024A0019, धारा 120बी सपठित धारा 420 आई0पी0सी0 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420 आई0पी0सी0 व धारा 12 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) एवं अभियुक्त वर्नित पोददार के विरुद्व धारा RC NO 0062024A0019, 120बी सपठित धारा 420 आई0पी0सी0 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420 आई0 पी0 सी0 व धारा 12 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) CBI,ACB Lucknow में संज्ञान लिये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **1.** अविनाश ताम्बे उर्फ अविनाश भीमराव ताम्बे के विरुद्व RC NO 0062024A0019 धारा–120बी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 व धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 11पी सी एक्ट 1988

Rahul Prakash
2026-07-27T17:
07:59+0530

(As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 11 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018) **2.** अभियुक्त तुषार सक्सेना के विरुद्व RC NO 0062023A0019 धारा 120बी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0 व धारा–66(सी) आई0 टी0 एक्ट 2000 व धारा 10, 12 पीसी एक्ट 1988 (As amended in 2018) **3.** अभियुक्त मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना) के विरुद्व RC NO 0062024A0019, धारा 9 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) **4.** अभियुक्त श्रीनाथ पोददार (प्रोपराइटर मे0 एनडी इंटरप्राइजेज) के विरुद्व RC NO 0062024A0019, धारा 120बी सपठित धारा 420 आई0पी0सी0 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420 आई0पी0सी0 व धारा 12 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) एवं **5.** अभियुक्त वर्निंत पोददार के विरुद्व RC NO 0062024A0019 धारा 120बी सपठित धारा 420 आई0पी0सी0 व धारा 11पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) & Substantive offence of sec. 420 आई0पी0सी0 व धारा 12 पी सी एक्ट 1988 (As amended in 2018) CBI,ACB Lucknow में प्रसंज्ञान लिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि प्रकरण के दो अन्य अभियुक्तगण मे0 विजन डायग्नोस्टिक इंडिया प्रा0 लि0 (एमडी/सीईओ श्री अरुण कुमार सिंह) एवं मे0 आरएनए टेक्नालोजी प्रोपराइटर श्री सुनीत मुखर्जी को प्रकरण में आरोपित नही किया गया है अतः उनके विरुद्व प्रस्तुत प्रकरण में प्रसंज्ञान नही लिया जा रहा है।

कार्यालय लिपिक आरोपपत्र को नियमानुसार सम्बन्धित पंजिका में दर्ज रजिस्टर करें। पत्रावली दिनांक–**24.08.2026** को पेश हो।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को दाण्डिक वाद के रुप में दर्ज करें। प्रकरण में अभियुक्तगण तुषार सक्सेना, मेसर्स शिप्रा साइटीफिक ट्रेडर्स (पार्टनर श्री तुषार सक्सेना), श्रीनाथ पोददार एवं वर्निंत पोददार न्यायालय में उपस्थित नही है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्व सम्मन जारी हो।

दिनांक–24.07.2026

(राहुल प्रकाश)
विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, सी0बी0आई0
पश्चिम लखनऊ।

Rahul Prakash
2026-07-27T17:
07:59+0530